रा.के.मु.अ.–551–10,3...–88.

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पुष्कर

सुश्री कोमल कंवर व अन्य बनाम सुश्री कैलाश कंवर व अन्य

किस्म मुकदमा 212 नं. 32/2022 सन 14/06/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ...	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/06/22	प्रार्थीगण मय अभिभावक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण अभिभावक द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस तलवाना पेश करने हेतु निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किया जाता है। ~~प्रार्थना~~ पत्र अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 29/06/22 को जारी हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी पुष्कर	
29/06/22	वकील नार द्वारा कार्य स्थगन हड़ताल के कारण आज तारीख चाहते है। मिसल दिनांक 15/07/22 को वास्ते पूर्व आदेश पेश है (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी पुष्कर	
15/07/22	पत्रावली पेश हुई / PO साहब आज दिनाक 15/7/22 को ~~राजकार्य~~ / प्रशासनिक कार्य / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 22/7/22 को पेश हों। रीडर (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर	
	पत्रावली पेश हुई / PO साहब आज दिनाक .... को राजकार्य / प्रशासनिक कार्य / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक .... को पेश हों। रीडर उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम – पुष्कर

कोमल कंवर व अन्य बनाम कैलाश कंवर व अन्य

किस्म मुकदमा 212 राजस्व प्रार्थना पत्र नं0 32 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18.07.2022	पत्रावली नियत दिनांक से पूर्व पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री श्रवणसिंह गौड़ हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की आगामी पेशी दिनांक 22.07.2022 नियत है तथा अप्रार्थीगण द्वारा खाता संख्या 291 के खसरा नंबर 1650/1430 पर निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है, इस हेतु उक्त प्रकरण आवश्यक सुनवाई एवं अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया गया। हाजिर अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस (प्रार्थना–पत्र) के आदेश दिये गये। इस पर हाजिर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस (प्रार्थना–पत्र) की गई। हमने अधिवक्ता द्वारा की गई अंतरिम बहस (प्रार्थना–पत्र) को एक तरफा सुना। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करानी चाही है। हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत् आवश्यक सुनवाई एवं अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र, एकपक्षीय बहस का अवलोकन किया, चिंतन व मनन किया। प्रार्थीगण अभिभाषक ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, जबरन अतिक्रमण करने, रहन एवं बेचान करने पर आमादा है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत् आवश्यक सुनवाई एवं अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकील प्रार्थीगण के निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना–पत्र प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में होने, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की तरफ होने एवं अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना देखते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय से जारी की जाती है कि आगामी आदेश तारीख पेशी 22.07.2022 मौजा ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर में स्थित विवादित आराजीयात के खाता नंबरान 279, 284, 285, 288, 291 (खसरा नं0 1652/187 रकबा 0.06 हैक्ट0 किस्म गै.मु.आबादी के अलावा अन्य खसरा नंबरान पर अस्थाई स्थगन), 283, 292, 286 पर मौके पर किसी प्रकार निर्माण कार्य नहीं करें और ना ही किसी अन्य से करावें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यतः बहस करनी होगी, अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावें। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो दिनांक 22.07.2022 को प्रातः 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22.07.2022 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)
22/7/22	पत्रावली पेश ... 22/7/22 ... कार्य / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 27/7/22 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel

Date: 2022.09.15 16:47:24 IST

Reason: SelfAttested

27/7/22

वकील बार द्वारा कार्य स्थगन हड़ताल के कारण आज तारीख बदलते है। मिसल दिनांक 29/7/22 को वास्ते तलबी पेश है

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

29/07/22

पत्रावली पेश हुई / PO साहब आज दिनांक 29/07/22 को ~~राजकार्य~~ / प्रशासनिक कार्य / ~~अवकाश~~ पर होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 03/08/22 को पेश हों।
रीडर

उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर

03/08/22

पत्रावली पेश हुई। वकील बार एसोशियेसन द्वारा कार्य स्थगन। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 04 की ओर से वकील श्री एस. के. चौधरी द्वारा वकालतनामा, जवाब तथा प्रार्थना-पत्र खाता सं. 291 नया पुराना 188 के खसरा नम्बर 1652/187 व 1650/1340 की हटाने बाबत पेश किया जो बार-तहरीर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी / का० मु० कार्यवाही दिनांक 10/08/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

10/08/22

वकील बार द्वारा कार्य स्थगन हड़ताल के कारण आज तारीख बदलते है। मिसल दिनांक 17/08/22 को वास्ते तलबी / का० मु० का० पेश है

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

17/8/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत बंटवारा का दावा पेश किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात मे सहखातेदार है। उक्त भूमि का आदिनांक तक बंटवारा नही हुआ है। अतः मूल दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रिकॉर्ड खातेदार को भूमि के उपयोग व उपभोग से न्यायालय कैसे रोक सकता है। ... की ... पर न्यायालय द्वारा किसी खातेदार को उसकी कृषि भूमि

रिकॉर्ड अनुसार बंटवारा होने में सहमत हैं कोई एतराज नहीं है
कैलाशकंवर
भरतसिंह
मानसिंह
अंगूठा
कुलकंवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के उपयोग व उपभोग से नही रोका जा सकता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व मे पारिवारिक बंटवारा हो रखा है और उसी अनुसार वे अपनी जगह काबिज काश्त है। इस वादग्रस्त आराजियात बाबत सिविल न्यायालय मे दावा व प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगणो द्वारा पेश कर रखा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि के उपयोग-उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही कर रहे है। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के बंटवारे से कोई आपत्ति नही है तथा रिकार्ड अनुसार बंटवारा किया जावे तो अप्रार्थीगण उससे सहमत है। अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण को नुकसान ज्यादा हो रहा है। स्टे की आड मे अप्रार्थीगण को भारी नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरुद्ध धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गलत फायदा नही उठा सकते है। प्रार्थीगण के 1/5 हिस्से मे अस्थाई निषेधाज्ञा रखे बाकि हिस्से से अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण जनवरी 2022 मे मृत हो चुके व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र व दावा कैसे ला सकते है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के विरुद्ध व अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे। [illegible] बहस मे वकील प्रार्थीगण ने [illegible] कि सिविल न्यायालय मे चल रहे वाद व प्रार्थना-पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का इस न्यायालय से कोई संबंध नहीं है सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। हमने वकील उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। वकील उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 17.8.22 उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:24 IST
Reason: SelfAttested